

२२.०३.१८

वकील अपी. के प्रा.पत्र पर आज पंजी में ली गई। अपी.
अपील चलाना नहीं चाहते हैं। अतः अपीलान्त जारी
अपील नहीं चलाने के कारण इसी स्टेज पर खारिज
की जाती है। पत्रावली फसल शुमार होकर बाद
वकील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर